समाहरणालय, गोड्डा।

(जिला भू–अर्जन शाखा)

E-Mail- goddadlao@gmail.com

–: सर्वसाधारण सूचना :–

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुन्र्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम की धारा–16, 2X800MW अदानी ताप विद्युत संयत्र प्रयोजना हेतु रेलवे लाईन साईडिंग निर्माण हेतु अंचल गोड्डा एवं पोड़ैयाहाट का पुनर्वास और पुर्नव्यवस्थापन योजना प्रारूप का प्रस्ताव :–

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुन्र्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम की धारा– 16 (1) एवं (2) के अन्तर्गत पुर्नवास तथा पुनर्स्थापना योजना तैयार करना है। इस कार्य हेतु उपायुक्त गोड्डा के ज्ञांपाक– 1310/भूअ0 दिनांक– 05.11.2018 द्वारा एक आम सूचना का प्रकाशन कराया गया। यह आम सूचना दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्रो में भी प्रकाशित हुई है। आम सूचना द्वारा परियोजना हेतु अधिग्रहित किये जाने वाले भूमि के संबंध में प्रभावित भू–स्वमियों/भू–अधिवासियों से अनुरोध किया गया कि सर्वेक्षण टीम के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते है। सर्वेक्षण का कार्यक्रम निम्म प्रकार से निर्धारित था।

क्र0	अंचल	पंचायत	ग्राम	थाना नं0	रकवा (एकड़ में)	दिनांक	समय
1	गोड्डा	मोतिया	कारीकादो	307	09.181	19.11.2018	10:00 बजे पूर्वाह्न
2			नयावाद	308	05.715	19.11.2018	02:00 बजे अपराह्न
3		पैरडीह	कौड़ीबहियारघाट	509	20.153	20.11.2018	10:00 बजे पूर्वाह्न
4			कौड़ीबहियारमाल	510	19.005	20.112018	12:00 बजे मध्याह्न
5			कौडीबहियारमाल छिंट	508	10.304	20.11.2018	02:00 बजे अपराह्न
6			गोढ़ीघाट	513	03.889	22.11.2018	10:00 बजे पूर्वाह्न
7			कानाडीह	512-514	01.371	22.11.2018	02:00 बजे अपराह्न
8	पोड़ैयाहाट	देवबन्धा	गुम्मा	30	23.543	19.11.2018	10:00 बजे पूर्वाह्न
				कुल रकवा :–	93.161		

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम– 2013 की धारा– 3(C) के अन्तर्गत प्रभावित परिवार परिभाषित किया गया है।

सर्वेक्षण टीम द्वारा पूर्व निर्धारित तिथियों को सर्वेक्षण का कार्य किया गया। सर्वेक्षण के उपरान्त पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हेतु विवरण अंचल अधिकारी, गोड्डा एवं पोड़ैयाहाट द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

परियोजना के अन्तर्गत पड़ने वाले संरचना का विवरण कार्यापालक अभियंता, भवन प्रमण्डल द्वारा अलग से दिया गया है।

अंचल अधिकारी गोड्डा एवं पोड़ैयाहाट में अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि यह एक रेखीय परियोजना (Linear Project) है जिसके अन्तर्गत रोजगार का सृजन प्रत्यक्ष रूप से नहीं हो रहा है। इस परियोजना से किसी हितबद्ध व्यक्ति/भू–अधिवासी का विस्थापन नहीं हो रहा है। उक्त परियोजना अंतर्गत पड़ने वाले भूमि पर कोई सरकारी संस्थान/भवन अवस्थित नहीं है।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम– 2013 की धारा 16 (1) एवं (2) के अन्तर्गत अंचल अधिकारी, गोड्डा का पत्रांक– 2371/रा0 दिनांक– 01.12.2018 तथा अंचल अधिकारी, पोड़ैयाहाट का पत्रांक– 938/रा0 दिनांक– 29.11.2018 द्वारा तैयार किये गये प्रस्तावित पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का प्रारूप प्रकाशित किया जाता है। इस प्रारूप को जिला के Website:- www.godda.nic.in के Land Acquisition में देखा जा सकता है।

पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना के सार* नीचे दिये गये है :–

क्रमांक	पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन का हकदारी का लाभ	हकदारी/उपबंध
1	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन	प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब को 50000.00 (पचास हजार) रू0 पुनर्व्यवस्थापन भत्ता दिया जायेगा।

प्रारूप प्रकाशन की तिथि से अगले 15 दिनों के अन्दर दावा/आपत्ति जिला भू–अर्जन कार्यालय, गोड्डा में किसी भी कार्य दिवस को समर्पित किया जा सकता है।

10/12/18

प्रशासक–सह–अपर–समाहर्त्ता,
गोड्डा।

ज्ञापांक 1572/भू0अ0 दिनांक :– 10/12/2018।

प्रतिलिपि :– उपायुक्त, गोड्डा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा/भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गोड्डा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि इस सूचना को यथाशीघ्र अपने कार्यालय में प्रदर्शित करने का कष्ट करेंगे।

प्रतिलिपि :– जिला जन–सम्पर्क पदाधिकारी, गोड्डा को प्रेषित। निदेश है कि इस सूचना का प्रकाशन यथाशीघ्र दो हिन्दी एवं अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों (स्थानीय संस्करण) में करने का कष्ट करेंगे। साथ ही प्रकाशित अधिसूचना का पेपर कटिंग जिला भू–अर्जन कार्यालय, गोड्डा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना–विज्ञान पदाधिकारी, गोड्डा को प्रेषित। निदेश है कि इस सूचना को गोड्डा जिले के वेवसाइट में यथाशीघ्र प्रदर्शित करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– अंचल अधिकारी, गोड्डा/पोड़ैयाहाट को निदेश है कि उक्त सूचना जारी किये जाने के पश्चात सहज दृश्य स्थलों पर चिपकाना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– अधियाची पदाधिकारी, वरीय उपाध्यक्ष, अदानी पावर (झारखंड) लिमिटेड, गोड्डा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि इस अधिसूचना को यथाशीघ्र अपने कार्यालय में प्रदर्शित करना सुनिश्चित करेंगे।

10/12/18

प्रशासक–सह–अपर–समाहर्त्ता,
गोड्डा।

ज्ञापांक :1572/भू0अ0 दिनांक :10/12/2018

प्रतिलिपि – प्रमंडलीय आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– निदेशक, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि – सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/12/18

प्रशासक–सह–अपर–समाहर्त्ता,
गोड्डा।